

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक : प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/13678

दिनांक : ३।५।१७

—: आदेश :—

राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं गंत्रालगिक रोवा) नियम 1963 के नियम 22 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत सहायक राजस्व निरीक्षक के रिवायत पदों पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समुख अंकित नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में नियुक्ति दिये जाने की एतद् द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	पदस्थापित निकाय का नाम
1	11744383765	श्री महेश चन्द्र जोशी	10.25.1989	GEN	उदयपुर
2	11410376230	श्री तेजपाल	7.18.1991	GEN	प्रतापगढ़

01. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं योग्यता संबंधी प्राश्निक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं योग्यता संबंधी सम्पूर्ण जांच एवं रात्यापन रांबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने रत्तर पर भी की जावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्रा वेतन नियमानुसार देय होगा।
02. यह चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यधीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएँ तुरन्त प्रभाव से रामाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
03. सहायक राजस्व निरीक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को राम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
04. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
05. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्या: एफ.12(2)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 20.04.2006 में वर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिक्रा रेम्यूनरेशन देय होगा।
06. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर यदि सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्यधीन रहेगा।
07. उपरोक्त पदों को भरे जाने के कारण होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।

08. नगर निकायों को आवंटित चयनित सहायक राजस्व निरीक्षक इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपरिथित होंगे जिसको संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत सहायक राजस्व निरीक्षक पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार खतः ही समाप्त हो जावेगा।

अतः इन्हे नियत समयावधि में नियमानुसार ड्यूटी ज्वाईन करवाई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक : प.1(ग)()का / एस.एम.ई./ डी.एल.बी./ 17/ 13679-13689 दिनांक : ३१/५/१७

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
3. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/ पालिका
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
5. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग, राज. जयपुर।
6. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व सीएमएआर की वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु प्रेषित है।
8. सम्बन्धित श्री
-
9. सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)